



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1937 (श0)
(सं0 पटना 390) पटना, मंगलवार, 24 मार्च 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

24 मार्च 2015

सं० एल0जी0-1-1/2015/लेज:—12—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 23 मार्च 2015 (कैम्प कोलकाता) को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दुबे,
सरकार के प्रभारी सचिव ।

बिहार विनियोग अधिनियम, 2015

[बिहार अधिनियम 2, 2015]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह 01 अप्रैल 2014 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 2014-15 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 47,31,29,57,000 (सैंतालीस अरब इकतीस करोड़ उन्नतीस लाख सनतावन हजार) रुपये की निकासी। - बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2014 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 47,31,29,57,000 (सैंतालीस अरब इकतीस करोड़ उन्नतीस लाख सनतावन हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे।

3. विनियोग-। - इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2014 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	23,35,64,000		23,35,64,000
		पूंजी			
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व			
		पूंजी	2,40,00,000		2,40,00,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	4,23,28,000		4,23,28,000
		पूंजी			
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व			
		पूंजी			
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
7	निगरानी विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,37,50,000		1,37,50,000
		पूंजी			
10	उर्जा विभाग	राजस्व	17,00,03,76,000		17,00,03,76,000
		पूंजी	14,96,36,78,000		14,96,36,78,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	1,10,00,000		1,10,00,000
		पूंजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व			
		पूंजी	8,00,00,00,000		8,00,00,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व			
		पूंजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूंजी			

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व			
		पूंजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	3,38,33,00,000		3,38,33,00,000
		पूंजी			
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	2,00,00,00,000		2,00,00,00,000
		पूंजी			
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	5,73,76,000		5,73,76,000
		पूंजी			
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	53,25,98,000		53,25,98,000
		पूंजी			
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	2,000		2,000
		पूंजी			
22	गृह विभाग	राजस्व	9,77,75,000		9,77,75,000
		पूंजी			
23	उद्योग विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	30,00,00,000		30,00,00,000
		पूंजी			
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	2,15,51,000		2,15,51,000
		पूंजी			
27	विधि विभाग	राजस्व	1,17,000		1,17,000
		पूंजी			
28	उच्च न्यायालय	राजस्व		98,00,000	98,00,000
		पूंजी			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व			
		पूंजी			

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	1,07,08,000		1,07,08,000
		पूंजी			
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
32	विधान मंडल	राजस्व			
		पूंजी			
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	32,99,000		32,99,000
		पूंजी			
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व			
		पूंजी			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	2,000		2,000
		पूंजी			
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व			
		पूंजी	44,86,90,000		44,86,90,000
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	20,00,000		20,00,000
		पूंजी			
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	49,84,000		49,84,000
		पूंजी	50,00,000		50,00,000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	1,000		1,000
		पूंजी			
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व			
		पूंजी	1,000		1,000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	8,36,60,000		8,36,60,000
		पूंजी			
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	8,00,000		8,00,000
		पूंजी			

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	1,16,38,000		1,16,38,000
		पूंजी			
47	परिवहन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	9,59,000		9,59,000
		पूंजी	5,00,00,000		5,00,00,000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
योग राजस्व			23,81,17,88,000	98,00,000	23,82,15,88,000
योग पूंजी			23,49,13,69,000		23,49,13,69,000
महायोग			47,30,31,57,000	98,00,000	47,31,29,57,000

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दुबे,
सरकार के प्रभारी सचिव।

24 मार्च 2015

सं० एल०जी०-1-1/2015/लेज:—13—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मार्च 2015 (कैम्प कोलकाता) को अनुमत बिहार विनियोग अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दुबे,
सरकार के प्रभारी सचिव।

THE BIHAR APPROPRIATION ACT, 2015

[Bihar Act 2, 2015]

AN

ACT

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM
AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR
THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING THE THIRTY FIRST DAY OF
MARCH, 2015

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty sixth year of the
Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement* .- (1) This Act may be called the Bihar
Appropriation Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force with effect from 1st April 2014.

2. Withdrawal of total Rs.- 47,31,29,57,000 (Rs. Forty seven Arab thirty one crore
twenty nine lac and fifty seven thousand), out of the Consolidated Fund of the State of
Bihar for the year 2014-15.-Total 47,31,29,57,000 (Rs. Forty seven Arab thirty one crore
twenty nine lac and fifty seven thousand), which will not be more than the amount
mentioned in column 6 of the schedule of this Act from The Consolidated Fund of The State
of Bihar to meet various expenses to be incurred related to the payment during the year
commencing from 01 April, 2014 in relation to the services mentioned in column 2 of the
Schedule of this Act.

3. *Appropriation*.- The amount authorized for withdrawal from and out of the
Consolidated Fund of the State of Bihar under this Act will be for the purposes and services
mentioned in the Schedule concerned related to the year commencing from first day of
April, 2014 and will be appropriated in respect of them.

SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
1	Agriculture Department	Revenue			
		Capital			
2	Animal and Fisheries Resource Department	Revenue	23,35,64,000		23,35,64,000
		Capital			
3	Building Construction Department	Revenue			
		Capital	2,40,00,000		2,40,00,000
4	Cabinet Secretariat Department	Revenue	4,23,28,000		4,23,28,000
		Capital			
5	Secretariat of the Governor	Revenue			
		Capital			
6	Election Department	Revenue			
		Capital			
7	Vigilance Department	Revenue			
		Capital			
8	Art, Culture and Youth Department	Revenue			
		Capital			
9	Co-operative Department	Revenue	1,37,50,000		1,37,50,000
		Capital			
10	Energy Department	Revenue	17,00,03,76,000		17,00,03,76,000
		Capital	14,96,36,78,000		14,96,36,78,000
11	BC and MBC Welfare Department	Revenue	1,10,00,000		1,10,00,000
		Capital			
12	Finance Department	Revenue			
		Capital	8,00,00,00,000		8,00,00,00,000
13	Interest Payment	Revenue			
		Capital			
14	Repayment of Loans	Revenue			
		Capital			
15	Pension	Revenue			
		Capital			
16	Panchayati Raj Department	Revenue	3,38,33,00,000		3,38,33,00,000
		Capital			
17	Commercial Tax Department	Revenue			
		Capital			
18	Food and Consumer Protection Department	Revenue	2,00,00,00,000		2,00,00,00,000
		Capital			
19	Environment and Forest Department	Revenue	5,73,76,000		5,73,76,000
		Capital			

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
20	Health Department	Revenue	53,25,98,000		53,25,98,000
		Capital			
21	Education Department	Revenue	2,000		2,000
		Capital			
22	Home Department	Revenue	9,77,75,000		9,77,75,000
		Capital			
23	Industries Department	Revenue			
		Capital			
24	Information and Public Relation Department	Revenue	30,00,00,000		30,00,00,000
		Capital			
25	Information Technology Department	Revenue			
		Capital			
26	Labour Resource Department	Revenue	2,15,51,000		2,15,51,000
		Capital			
27	Law Department	Revenue	1,17,000		1,17,000
		Capital			
28	High Court of Bihar	Revenue		98,00,000	98,00,000
		Capital			
29	Mines and Geology Department	Revenue			
		Capital			
30	Minorities Welfare Department	Revenue	1,07,08,000		1,07,08,000
		Capital			
31	Parliamentary Affairs Department	Revenue			
		Capital			
32	Legislature	Revenue			
		Capital			
33	General Administration Department	Revenue	32,99,000		32,99,000
		Capital			
34	Bihar Public Service Commission	Revenue			
		Capital			
35	Planning and Development Department	Revenue			
		Capital			
36	Public Health Engineering Department	Revenue	2,000		2,000
		Capital			
37	Rural Works Department	Revenue			
		Capital	44,86,90,000		44,86,90,000
38	Registration, Excise and Prohibition Department	Revenue			
		Capital			
39	Disaster Management Department	Revenue	20,00,000		20,00,000
		Capital			
40	Revenue and Land Reforms Department	Revenue	49,84,000		49,84,000
		Capital	50,00,000		50,00,000

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
41	Road Construction Department	Revenue	1,000		1,000
		Capital			
42	Rural Development Department	Revenue			
		Capital	1,000		1,000
43	Science and Technology Department	Revenue			
		Capital			
44	SC & ST Welfare Department	Revenue	8,36,60,000		8,36,60,000
		Capital			
45	Sugar Industries Department	Revenue	8,00,000		8,00,000
		Capital			
46	Tourism Department	Revenue	1,16,38,000		1,16,38,000
		Capital			
47	Transport Department	Revenue			
		Capital			
48	Urban Development and Housing Department	Revenue			
		Capital			
49	Water Resources Department	Revenue			
		Capital			
50	Minor Water Resource Department	Revenue	9,59,000		9,59,000
		Capital	5,00,00,000		5,00,00,000
51	Social Welfare Department	Revenue			
		Capital			
Total Revenue			23,81,17,88,000	98,00,000	23,82,15,88,000
Total Capital			23,49,13,69,000		23,49,13,69,000
Grand Total			47,30,31,57,000	98,00,000	47,31,29,57,000

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्जवल कुमार दुबे,

सरकार के प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 390-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>